



Neutral Citation No. - 2026:AHC:56412

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 6218/2026

लालू उर्फ अजय उर्फ प्रदीप उर्फ हरवेश

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता

: प्रियव्रत त्रिपाठी

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या- 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रियव्रत त्रिपाठी और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान एजीए श्री रामेन्द्र पाल सिंह की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।

आवेदक लालू उर्फ अजय उर्फ प्रदीप उर्फ हरवेश की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह वर्तमान जमानत याचिका दायर की गई है, जिसमें उसे पुलिस स्टेशन बरनाहल, जिला मैनपुरी में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 142/2025, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के तहत विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि आवेदक निर्दोष है और उसे जानबूझकर इस मामले में फंसाया गया है। उसके खिलाफ 23 आपराधिक मामले पूरी तरह से स्पष्ट कर दिए गए हैं।

यह भी कहा गया कि प्रार्थी किसी गिरावट का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (बी) में वर्णित गिरावट की गतिविधियों में सहायता या सहयोग नहीं किया है। प्रार्थी का उपरोक्त मामले के अतिरिक्त कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों को प्रभावित करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 10.12.2025 से जेल में है, यह वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है, तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के कारण, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2020 (11) एससीसी 648 और अभिमन्यु आदि बनाम केरल राज्य, 2025 आईएनएससी 1136** के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि किसी आरोपी के विरुद्ध कई आपराधिक मामले लंबित होने मात्र से ही जमानत खारिज नहीं की जा सकती।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की अर्जी का विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दिखाए गए मामलों के अलावा आवेदक के खिलाफ कोई अन्य मामला नहीं बताया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



समस्त तथ्यों, प्रकृति और अभिलेख से प्रकट साक्ष्य पर विचार करने के उपरान्त तथा अधिनियम की धारा 19(4) के उपबंध को भी ध्यान में रखते हुए और मामले के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत हेतु उपयुक्त प्रकरण पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

आवेदक, **लालू उर्फ अजय उर्फ प्रदीप उर्फ हरवेश** को उपर्युक्त अपराध संख्या में संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक निजी मुचलका और समान राशि के दो जमानतदारों को पेश करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर छोड़ा जाए-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, भय या वचन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य प्रकट करने से विरत रहे या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/धमकाएगा।

(iii) आवेदक (i) मामले के प्रारंभ, (ii) आरोप विरचन और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अधीन कथन अभिलिखित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक यह वचन देगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ऊपर दी गई किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर कोई अभिव्यक्ति नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

19 मार्च 2026

दीपक/-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”